भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 224

जिसका उत्तर दिनांक 02.02.2022 को दिया जाना है

निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टर

224. डॉ कृष्णपाल सिंह यादव :
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल :
डॉ श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
श्रीमती अपरूपा पोद्दार :
श्री राजेन्द्र धेड्या गावित :
डॉ सुजय विखे पाटिल :
डॉ हिना विजय कुमार गावीत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैतापुर स्थल में निर्माणाधीन तथा योजनाधीन छह परमाणु रिएक्टरों के संबंध में हुई अनुमानित प्रगति तथा ब्यौरा क्या है;

(ख) जैतापुर जिले में चल रही परियोजनाओं में किसी भी प्रकार के परमाणु रिसाव को रोकने हेतु उपयोग की जाने वाली रीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चल रही परियोजनाओं को पूरा करने की अनंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन कॉरीडोरों के बीच की भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ अधिग्रहित भूमि तथा दिए गए मुआवजे एवं पुनर्वास का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र उक्त परियोजनाओं का प्रयोग स्वास्थ्य सेवाओं हेतु प्रौद्यगिकियों एवं रेडियों फार्मास्यूटिकल्स को विकसित करने के लिए करेगा?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) सरकार ने महाराष्ट्र के जैतापुर में फ्रांस के तकनीकी सहयोग से प्रत्येक 1650 मेगावाट के छह नाभिकीय विद्युत रिएक्टर की स्थापना हेतु स्थल का 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान कर दिया है ।

परियोजना तथा आवासीय टाउनशिप के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है । आवश्यक सांविधिक मंजूरियाँ प्राप्त कर ली गई हैं । स्थल आधारिक संरचना और प्रौद्योगिकी स्वतंत्र स्थल अन्वेषण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं । वर्तमान में, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (एनपीसीआईएल) और ईडीएफ, फ्रांस के बीच निर्धारित औद्योगिक वायदा

समझौता (आईडब्ल्यूएफए) के अनुरूप परियोजना प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए मेसर्स इलेक्ट्रीसाइट दे फ्रांस (ईडीएफ), फ्रांस के साथ तकनीकी-वाणिज्यिक चर्चा प्रगति पर है ।

(ख) नाभिकीय ऊर्जा के सभी पहलुओं अर्थात् स्थल चयन, अभिकल्प, निर्माण, कमीशनन एवं प्रचालन में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है । परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) की संहिता और संदर्शिकाओं के अनुसार, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को अतिरिक्तता तथा विविधता के संरक्षा सिद्धांतों को अपनाते हुए अभिकल्प किया जाता है और गहन संरक्षा सिद्धांत का अनुपालन करते हुए 'विफल-संरक्षित (फेल-सेफ)' अभिकल्प विशिष्टताएं उपलब्ध कराई जाती हैं ।

(ग) परियोजना के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने और सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय मंजूरी प्रदान करने के पश्चात परियोजना की अनुसूची प्रस्तुत होगी ।

(घ) जैतापुर परियोजना के लिए कुल 938.026 हेक्टेयर भूमि (692.311 हेक्टेयर संयंत्र स्थल के लिए + 245.715 हेक्टेयर आवासीय परिसर के लिए) जिसमें से अधिकतर बंजर भूमि है, का अधिग्रहण किया गया। इसमें कहीं भी जनसंख्या का विस्थापन नहीं किया गया। प्रारंभ में, महाराष्ट्र राज्य की आर एंड आर नीति के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार कुल अधिग्रहीत भूमि के लिए 14.77 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। तत्पश्चात, राज्य सरकार ने 2013 में 22.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की अनुग्रह राशि की घोषणा की जिसकी कुल राशि रु. 211.05 करोड़ थी । एनपीसीआईएल द्वारा कुल मुआवजा राज्य सरकार के पास जमा कर दिया गया । एनपीसीआईएल तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच पुनर्वास पैकेज के संबंध में एक समझौता तय करके लागू किया जा रहा है । आर एंड आर पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ चार गांवों में नागरिक सुविधाओं का उन्नयन और उनका रखरखाव, परियोजना प्रभावित प्रत्येक परिवारों में से एक व्यक्ति को उनकी पात्रता और जेएनपीपी में रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर वर्ग 'ग' व 'घ' में रोजगार का प्रावधान या उसके बदले में 5 लाख रुपये का एकमुश्त नकद मुआवजा, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण और कौशल विकास, पुनर्वास अनुदान और अन्य लाभ शामिल हैं।

(ङ) जी, नहीं ।

* * * * *